झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

रांची, दिनांक 24.1.12

संख्या–7/वि0वि0स0–3–97/05 पार्ट का॰ 694/सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा–27 की उप धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, झारखण्ड सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

1. संक्षित नाम और प्रारम्भ –

(i) यह "झारखण्ड सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2011" कही जायेगी।

(ii) यह झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

(iii) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा।

2. झारखण्ड सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 की कंडिका 4(घ) में अंकित वाक्यांश "अभिलेखों के निरीक्षण कें लिए, पहले घंटे के लिए कोई फीस नहीं; और उसके प्रश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए पांच रुपए की फीस" के स्थान पर निम्न वाक्यांश प्रतिस्थापित की जाती है :–

"अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे के लिए कोई फीस नहीं, और उसके पश्चात् प्रत्येक घंटे या उसके भाग के लिए पाँच रुपये की फीस।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
(हस्ताक्षर) 21/1/2012
(आदित्य स्वरूप)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/वि0वि0स0–3–97/05 पार्ट का॰–694/रांची, दिनांक 24.1.12

प्रतिलिपि–झारखण्ड सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(हस्ताक्षर) 21/1/2012
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/वि0वि0स0–3–97/05 पार्ट का॰–694/रांची, दिनांक 24.1.12

प्रतिलिपि–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी निगम/निकाय/उपक्रम/गैर सरकारी संस्थाएँ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21/1/2012
सरकार के प्रधान सचिव।
202

D:\amit\Sec-7\notification- RTI-2005.doc